



659

संबद्धता की निरंतरता  
सत्र 2017-18

# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/05/2017

क्रमांक 2234/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
VFER B.ED COLLEGE, SHRI RAM NAGAR CHOURAHA  
32, KIRAMCHI BHANDARA VIDISHA 484001 MADHYA  
PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 136514 दिनांक: 29/05/2015  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 389

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संवलिप्त निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्तों:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से तय्यपित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 31 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिस महाविद्यालय ने कलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संवलिप्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



*[Signature]*  
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 29/06/2017

पू0क्रमांक 2485/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संवालय सहायक सचिव, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, सदागला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन संचालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/सोपजीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

*[Signature]*  
उप-कुलसचिव अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2683/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/06/2017

PRINCIPAL / DIRECTOR  
SWAMI VIVEKANAND SHIKSHAN SANSTHAN  
45 VAISHALI, KOTRA BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 13-315/6 दिनांक: 23/5/15  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 171

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बीएड 1990 का सत्र संख्या

शर्तें:-

1. आपानी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का मूल्यान सुविधित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निदेश की बैठकों का नियमित आयोजन एवं दिवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 31 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियाँ तथा विश्वविद्यालय द्वारा कटाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

  
प्र. कुलसचिव, अकादमी

भोपाल, दिनांक 29/06/2017

पृ. क्रमांक 2683/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संजालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा. कुलसचिव, अकादमी





# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 265/अकादमी/संबद्धता/2017  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/06/2017

PRINCIPAL / DIRECTOR  
SHRI DWARIKA PRASAD YADAV MAHAVIDYALAYA,  
BRIJ COLONY, SIRONJI, VIDISHA MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 149/32 दिनांक: 31/05/17  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017, को जारी सूची  
क्रमांक: 333

महोदय,

विद्या परिषद की स्टाई समिति की बैठक दिनांक 05.05.2017 में की गई अनुशासा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय ने संचालित निर्वाचित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता विन्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -

1. बी0एड0 - 500 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5, 6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का अद्य-न्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचय क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जायेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. बिना महाविद्यालय ने कालेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

सा-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 29/06/2017

पू० क्रमांक 265/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय रातपुरा भवन भोपाल।
2. सैनीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, लालन भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग न.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलाति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सा-कुलसचिव, अकादमी



## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2678/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 27/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
SAKET SHIKSHAN SAMITI,  
211, CIVIL LINES, VIDISHA 464001 MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18

संबद्धता:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 223405 दिनांक: 31/05/2017

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 226

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 <sup>300</sup> छात्र संख्या

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्र. 27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक हार्ड ई काउंटेर से स्थापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी निदेश की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचियम क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश ग्राह्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित विभागक संख्या व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियाँ तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी वर्षवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा समय पर एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



*[Signature]*  
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 27/06/2017

पुं.क्रमांक 2679/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सेल्फुड गवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग त.प्र. शासन संचालन बल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/भौतिकीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाार्थ
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

*[Signature]*  
सहा. कुलसचिव, अकादमी





146

संबद्धता की निरंतरता  
सत्र 2017-18

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2675/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 29/05/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
NARMADA EDUCATION SOCIETY,  
COLLEGE OF EDUCATION, NEAR S.N.G. SCHOOL,  
HOSHANGABAD, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 438/142 दिनांक: 29/05/2015  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 12

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियन क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय कय एनक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारी बिक्रम की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचियन क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. दिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा सपस पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 29/05/2017

पृ0क्रमांक 2675/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संभालनालय, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग स.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/सोपजीव/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाई।
5. वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

उप-कुलसचिव, अकादमी



# बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संबद्धता की निरंतरता  
सत्र 2017-18

भोपाल, दिनांक 19/05/2018

कमांक 267/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,  
NAMOKAR COLLEGE  
RUN BY PUJYANIYA GUNSAGAR EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE  
SOCIETY, PLOT NO - 193/1/MIN-4/2, STREET NO - 34,  
VILLAGE - DHOLKHEDI,  
P.O + TEHSIL + DIST. VIDISHA - 464001, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

संदर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 135868 दिनांक: 19/05/2018

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची  
क्रमांक: 513.

लहोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरान्त आपके महाविद्यालय में संचालित निम्नांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई निरंतरता निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. बी0एड0 100 छात्र संख्या

शर्त:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की निरंतरता के लिये निम्नानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी आदेश क्रमांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय प्रत्येक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शासी विभाग की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचियम क्रं. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित नियामक संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियां तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कॉलेज ग्रेड 2B के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार,



Sajid  
एए-कुलसचिव अकादमी  
भोपाल, दिनांक 29/5/2018

पृ०कमांक 267/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सतपुरा भवन भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मावरु भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग ग.प. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचना
5. वेबसाइट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

एए-कुलसचिव अकादमी





## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 2665/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक 28/06/2017

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR  
CHRIST COLLEGE  
RUN BY SOCIETY CHRIST ACADEMIC AND EDUCATION  
SOCIETY, BIORA-BHOPAL ROAD, KACHNARIYA, BIORA-RAJGARH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विरंतरता सत्र 2017-18.

संदर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: 137/94 दिनांक: 22/5/2017  
(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: 05-05-2017 को जारी सूची क्रमांक: 298

गद्दीदग,

द्विधा परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 08.05.2017 में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरांत आपके महाविद्यालय में संश्लिष्ट विन्यासित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विरंतरता निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है -

1. वीएडो 10 = छात्र संख्या

शर्तें:-

1. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विरंतरता के लिये नियमानुसार आवेदन करना होगा।
2. विश्वविद्यालय के परिचयन क्र.27 एवं 28 तथा परीक्षा संबंधी अपवाद कर्मांक 5,6 एवं 7 का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
4. शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्यात आयोजक एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
5. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिचयन क्र. 28 के तहत पूर्ण कर उनकी सूची 01 जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
6. बिना संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जाएगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
7. संबंधित विद्यार्थी संख्या व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्साई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कटाए जाने वाले विदेश में पाई गई कमियों की सूचना नियामक संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जानी तथा उनके निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की जानी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. जिन महाविद्यालय ने कोलेज कोड 28 के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की है तथा निर्धारित समय सीमा में संबद्धता शुरू नहीं किया है, उन महाविद्यालयों में संश्लिष्ट पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
9. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियमितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

सूचक्रमांक 2665/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय रातपुरा, भोपाल।
2. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, स्वामता हिल्स, भोपाल
2. उपसचिव उच्च शिक्षा विभाग स.प्र. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
3. उपकुलसचिव/ओपनींग/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
4. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक के माध्यम से सूचनाएं।
5. वेबसाईट प्रभावी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल



अदेशानुसार,

  
उप-कुलसचिव अकादमी

भोपाल, दिनांक 28/06/2017

सहा-कुलसचिव, अकादमी